

डिक्री व मुकदमों ईन्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 548/2024

1. हरदीप सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रताप नगर तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़ (राज.)
2. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रताप नगर तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़ (राज.)

बनाम्

1. जगतार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़ (राज.)
2. अमनदीप कौर पुत्री श्री जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रताप नगर तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़ (राज.)
3. जसकरण सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रताप नगर तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़ (राज.)
4. कलवंत सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रताप नगर तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़ (राज.)
5. बलकरण सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रताप नगर तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़ (राज.)
6. छोटी उर्फ अंग्रेज कौर पुत्री श्री बाबू सिंह पत्नी श्री छोटा सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रताप नगर तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़ (राज.) हाल आबाद नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. गुडडी उर्फ सुखदेव कौर पुत्री श्री बाबू सिंह पत्नी श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रताप नगर तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़ (राज.) हाल आबाद नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)
8. निक्की उर्फ सरजीत कौर पुत्री श्री बाबू सिंह पत्नी श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक प्रताप नगर तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़ (राज.) हाल आबाद बणी तह. व जिला सिरसा (हरि.)
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनमानगढ़ (राज.)

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादी मिन जांमिन मुदई श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, श्री भीम सिंह छिम्पा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 68/5 खाता कलवंत सिंह वगैरा जमाबंदी सम्वत् 2071-74 तथा चंक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 95/67 खाता कलवंत सिंह वगैरा जमाबंदी सम्वत् 2072-75 में बलवीर सिंह उर्फ जगजीत सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काप्तकार है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमलरामद किया जाकर उक्त चको के उक्त खातो में से बलवीर सिंह उर्फ जगजीत सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा उक्त चको के उक्त खातों में प्रतिवादी सं. 3 जसकरण सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह के नाम दर्ज आराजी का वादी सं. 2 खातेदार काप्तकार है तथा इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर उक्त चको के उक्त खातों में से प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जावे। चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 242/165 खाता कलवंत सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में दर्ज कुल 0.506 है. आराजी में से 0.253 है. आराजीका प्रतिवादी सं. 4

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया


कलवंत सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह तथा शेष 0.253 है. आराजी में से 1/5 हिस्सा यानि 0.051 है. आराजी काप्रतिवादी सं. 1 जगतार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह तथा 0.151 है. आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार है। उक्त खाता की शेष 0.051 है. आराजी पूर्ण सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह के नाम बदस्तूर रखी जावे। उक्त चक के उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 5 ता 8 बलकरण सिंह, निक्की उर्फ

सुखजीत कौर, गुड्डीउर्फ सुखदेव कौर, छोटी उर्फ अंग्रेज कौर पुत्र/पुत्रीयां श्री बाबू सिंह तथा दलीप कौर पत्नी श्री बाबू सिंह तथा जगजीत सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह का नाम कलमजन किया जावे। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो सजस्व रिकार्ड में इसका अंकित किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैंक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज..........निल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत..........निल..........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........अदा करें।

बसब्ल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.6.2022 को जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
महियत कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अदालत
संगरिया